

री- केवायसी खाता धारकों के खातों को सुरक्षित एवं प्रचलित रखने के लिये जरूरी

ग्राम पंचायत अटारीखेजरा एवं ग्यारसपुर में जन सुरक्षा कैंप का आयोजन हुआ



प्रदेश की हलचल, विदिशा । ग्राम पंचायत अटारीखेजरा एवं ग्यारसपुर में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडोदा एवं यूको बैंक द्वारा जन सुरक्षा कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान आरबीआई उप महाप्रबंधक श्रीमती अल्का अजीत गरडे ने कैंप में उपस्थित ग्राहकों एवं आमजनो को बताया कि भारतीय रिजर्व

बैंक के नियम के अनुसार 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है, जिसके लिए री-केवायसी बहुत आवश्यक है। अगर हम खाते में री-केवायसी नहीं करवाएंगे तो हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा। यह 10 मिनट की बहुत साधारण प्रक्रिया है, बैंक शाखा अथवा कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर केवायसी

कराना होता है। खाते में केवायसी नहीं होने पर शासन द्वारा मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि खाते में आ तो जाएगी किंतु हितग्राही खाते से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। अतः इसलिये री- केवायसी कराना अति महत्वपूर्ण है।

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्रीमती स्वेता प्रिया द्वारा समस्त नागरिकों को जानकारी दी कि जन सुरक्षा कैंप के द्वारा आपकी बैंक आपके द्वार पहुंचकर आपके गांव में ही खाताधारको के खातों की री-केवायसी का कार्य किया जा रहा है, यह बहुत आवश्यक है। आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का री-केवायसी अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए री- के वाय सी करवाना आवश्यक है।